

उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण)

अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1970)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 4 मई, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 13 मई, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया ।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 28 मई, 1970 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 30 मई, 1970 ई० को प्रकाशित हुआ ।]

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 का अश्वेत संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) अधिनियम, 1970 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम

2—यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, 1947 की धारा 12 में, उपधारा (2) में, शब्द "दस वर्ष" के स्थान पर "ग्यारह वर्ष" रख दिये जायें।

यू० पी० ऐक्ट सं० 26, 1947 की धारा 12 का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1967 की धारा 8 में उपधारा (1) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "चार वर्ष" रख दिये जायें।

उ० प्र० अधिनियम सं० 33, 1967 की धारा 8 का संशोधन

4—उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) अध्यादेश, 1970 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० 8, 1970 का निरसन

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 2 मई, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।]

THE UTTAR PRADESH GAON PANCHAYATS AND KSHETTRA
SAMITIS (EXTENSION OF TERM) ACT, 1970
(U. P. ACT NO. 19 OF 1970)

[*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Gaon Panchayat Tatha Kshettra Samiti (Karyakal ka Vistarar) Adhiniyam, 1970.]

AN
ACT

further to amend the U. P. Panchayat Raj Act, 1947 and the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961.

It is hereby enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Gaon Panchayats and Kshettra Samitis (Extension of Term) Act, 1970.

Short title.

2. In the U. P. Panchayat Raj Act, 1947, in section 12, in sub-section (2), for the words "ten years", the words "eleven years" shall be substituted.

Amendment of section 12 of U. P. Act XXVI of 1947.

3. In the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961, in section 8, in sub-section (1), in the first proviso thereto, for the words "three years", the words "four years" shall be substituted.

Amendment of section 8 of U. P. Act XXXIII of 1961.

4. The U. P. Gaon Panchayats and Kshettra Samitis (Extension of Term) Ordinance, 1970 is hereby repealed.

Repeal of U. P. Ordinance VIII of 1970.

(For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary)*, dated May 2, 1970.)

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on May 4, 1970 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on March 13, 1970.)

[Received the Assent of the Governor on May 28, 1970 under Article 200, of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary)*, dated May 30, 1970.]